मिशाल शारीरिक अक्षमता को मात देकर लिखी सफलता की नई इबारत, कलेक्ट्रेट पहुंचकर संभाला कार्यभार

एंबुलेंस में दिया साक्षात्कार, डिप्टी कलेक्टर बनकर पेश की मिसाल

विवेक दुबे

नवभारत, जबलपुर। जब हौंसलों में उड़ान आसमान तक ऊंची उड़ने की हो तो कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकता। अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, तुम्हे अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा... मेहनत, लगन और अनुशासन अगर आपके कर्म में शामिल है तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। ये पंक्तियां जबलपुर के हिमांशु सोनी ने चारितार्थ करते हुए इतिहास की नई इबारत लिखी है। शारीरिक अक्षमता को दरकिनार करते हुए अपनी कड़ी मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प के बल पर हिमांशु ने राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होकर सफलता का नया मुकाम हासिल किया है। वर्ष 2022 से घर से ही मप्र लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस परीक्षाओं की तैयारी की शुरूआत करने वाले हिमांशु सोनी ने नवभारत से चर्चा के दौरान बताया कि अगस्त 2025 में वे अपने बड़े भाई और मां के साथ मप्र लोक सेवा आयोग इंदौर गए थे । साक्षात्कार के पहले उनका हाथ में फ्रैक्चर हो गया था और हालत इतनी खराब थी कि वे व्हील चेयर में ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पा रहे थे। बावजूद इसके हिमांशु एंबुलेंस में लेटकर साक्षात्कार देने स्टेशन से मप्र लोक सेवा आयोग इंदौर गए जहां बोर्ड की टीम साक्षात्कार लेने एंबुलेंस में ही आई और फिर हिमांशु ने एंबुलेंस में ही साक्षात्कार दिया। साक्षात्कार देने के कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि वे जबलपुर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो चुके हैं। इसके बाद पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सभी बहुत खुश थे।

पहले यहां हुई थी पोस्टिंग

डिप्टी कलेक्टर बने हिमांशु ने नवभारत से ये भी साझा किया कि उनकी पहली पोस्टिंग सहायक संचालक के पद पर संयुक्त संचालक कार्यालय जबलपुर में हुई थी। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2024 में मप्र लोक सेवा आयोग की फिर से परीक्षा दी फिर सफलता मिलने के बाद उन्हें वर्ष 2024 में साक्षात्कार के लिए इंदौर बुलाया गया। इसी क्रम में वर्ष 2025 में चयन प्रक्रिया संपन्न हुई। जिसके बाद उनका डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ।

कुछ इस तरह चढ़ी सफलता की सीढ़ी

नवभारत से चर्चा के दौरान हिमांशु ने ये भी बताया कि वे जब स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तभी से उनके मन में था कि वे कुछ ऐसा मुकाम हासिल करें जिससे वे ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ें और उनकी समस्याओं का निराकरण करने में भूमिका निभाएं। इसके साथ ही अखबारों में वे आए दिन न्यूज देखते रहते थे कि दिव्यांग अधिकारियों ने ये मुकाम हासिल किया इसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस में कैरियर आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प लिया और सफलता की नई इबारत लिखी। हिमांशु के अनुसार उन्होंने घर में ही परीक्षा की ऑनलाइन तैयारी की और फिर सफलता हासिल की। हिंमाशु ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय परिवार के सभी सदस्यों को दिया है। नवभारत से चर्चा के दौरान हिमांशु ने बताया कि वे आलोक नगर अधारताल जैन मंदिर के पास रहते हैं जिनके घर में उनके बड़े भाई चैतन्य सोनी, माता माधवी सोनी और पिता महेंद्र कुमार सोनी रहते हैं। नवचयनित डिप्टी कलेक्टर हिमांशु सोनी ने आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में आने वाली रुकावटें या असफलताएँ स्थायी नहीं होतीं। सफलता पाने के लिए निरंतरता और अनुशासन बहुत जरूरी है।

कलेक्टर ने दिलाई ज्वाइनिंग

कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार को कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने 2024 बैच के डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हिमांशु सोनी को डिप्टी कलेक्टर पद का ज्वाइनिंग लैटर प्रदान किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने नवनियुक्त डिप्टी कलेक्टर हिमांशु सोनी का कलेक्ट्रेट कार्यालय के अन्य अधिकारियों से परिचय कराया और औपचारिक रूप से उनकी ज्वाइनिंग कराई। कार्यभार संभालने के पहले ही दिन उन्होंने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के साथ बैठकर जनसुनवाई में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बिजली, ऊर्जा, शिक्षा विभाग और आम जनता की अन्य विभिन्न समस्याओं को बेहद करीब से समझा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की बारीकियों को जाना।

ओबीसी आरक्षण मामला : क्वांटिफायबल डेटा के बिना आरक्षण बढ़ाने का आरोप

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक व न्यायाधीश विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से जुड़े करीब 100 मामलों पर मंगलवार को सुनवाई जारी रही। कोर्ट के समक्ष सामान्य वर्ग के याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप संचेती ने लगभग दो घंटे तक बहस करते हुए तर्क दिया कि राज्य सरकार ने आरक्षण बढ़ाने से पहले सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आवश्यक क्वांटिफायबल डेटा एकत्र नहीं किए। केवल जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाना संविधान और सुप्रीम कोर्ट के तय सिद्धांतों के विपरीत है। बहस के दौरान बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय के सर्वे की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए गए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सर्वे में केवल ओबीसी वर्ग के करीब 10 हजार लोगों को शामिल किया गया, अन्य वर्गों को नहीं। ऐसे में तुलनात्मक अध्ययन के अभाव में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का सही आकलन संभव नहीं है। यह भी दलील दी गई कि सर्वे के अनुसार ओबीसी वर्ग के 23.91 प्रतिशत लोग उच्च शिक्षित हैं। सामान्य वर्ग की ओर से आल इंडिया सर्वे आन हायर एजुकेशन का हवाला देते हुए कहा गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व लगभग 77 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। इसलिए ठोस और वस्तुनिष्ठ आंकड़ों के बिना आरक्षण बढ़ाने का निर्णय उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने अवगत कराया कि हाईकोर्ट की विशेष युगलपीठ अब बुधवार को भी सुनवाई जारी रखेगी। पहले सामान्य वर्ग की बहस पूरी होगी, इसके बाद राज्य शासन और ओबीसी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि सामान्य वर्ग की ओर से अमन लेखी तथा यूथ फॉर इक्वेलिटी की ओर से गोपाल शंकर नारायण पहले ही अपनी दलीलें पूरी कर चुके हैं।

एक नजर में

पत्नी से विवाद, दामाद ने ससुर को मारा चाकू

नवभारत, जबलपुर। गोहलपुर थाना अंतर्गत लेमागार्डन में पत्नी को लेकर उपजे विवाद पर दामाद ने ससुर को चाकू मार दिया। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को पूनम बेन 27 वर्ष निवासी लेमागार्डन गोहलपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह शिक्षिका है उसके पति धर्मेन्द्र बेन से झगड़ा होने के कारण 10 दिन पहले मायके चली गयी थी कल उसके पिता राजू बेन उसे उसकी ससुराल छोड़ने आये थे। पति विवाद करने लगा, उसके पिता ने मना किया तो पति धर्मेन्द्र ने चाकू से हमला कर उसके पिता के हाथ में चोट पहुंचा दी। मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव किया तो पति जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पहाड़ी में घेराबंदी, बमबाज गिरफ्तार

नवभारत, जबलपुर। गढ़ा पुलिस ने बजरंग नगर पहाडी में घेराबंदी कर एक बमबाज को गिरफ्ततार किया है जिसके कब्जे से दो सुअरमार बम जप्त किए गए। टीआई प्रसन्न कुमार शर्मा ने बताया कि बजरंग नगर पहाडी में घेराबंदी कर अतुल साहू पिता राजकुमार साहू 19 वर्ष निवासी अन्ना मोहल्ला शारदा चौक गढा को दबोचा। जिसके हाथ में रखी पालीथीन को चैक करने पर 2 नग सुअरमार बम रखे मिलें, आरोपी अतुल साहू के कब्जे से 2 सुअरमार बम जप्त करते हुये आरोपी के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय है कि आरोपी अतुल साहू के खिलाफ पूर्व से आर्म्स एक्ट एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के 3 अपराध दर्ज है।

वृद्ध ने लगाई फांसी

नवभारत, जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत निर्मलचंद वार्ड निवासी एक वृद्ध ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने यह आत्मघाती कदम किन परिस्थितियों में उठाया इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक राधेश्याम चौहान 51 वर्ष निवासी निर्मलचंद वार्ड अधारताल ने घर में फांसी ली जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए जहां डॉक्टर ने परीक्षण उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मर्ग कायम कर छानबीन में जुट गई है।

युवती पर पेचकस से हमला करने वाले को 3 साल की सजा

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश महिमा कछवाहा की अदालत ने युवती से छेड़छाड़ कर गले में पेचकस से हमला करने के आरोप में रांझी निवासी मनीष कोल को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 1400 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार 1 अगस्त 2025 को युवती कॉलेज से घर लौट रही थी। आरोपी ने युवती को रास्ते में रोक लिया। उसने युवती के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर युवती के गले में पेचकस से हमला कर दिया। इससे युवती को गंभीर चोट आई थी।

ई रिक्शा से पहुंचे लुटेरे, चाकू अड़ाकर युवक को लूटा

नवभारत, जबलपुर। विजय नगर में ई रिक्शा से पहुंचे लुटेरों ने चाकू अड़ाकर युवक का पर्स लूट लिया जिसमें नकदी, पहचान पत्र अन्य सामान रखा हुआ था । पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार दोपहर में गौरव ठाकुर 29 वर्ष निवासी गली नम्बर 8 बजे लमती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि गढ़ा फाटक स्थित कपड़े की दुकान में काम करता है सेठ से 3900 रूपये लिये थे। लार्डगंज से अपने भाई अंशुल ठाकुर के साथ घड़ी चौक तक आया था अंशुल एवं अंशुल के दोस्त उसे छोड़कर चले गये थे घड़ी चौक से अपने घर पैदल जा रहा था जैसे ही बचपन स्कूल के पास पहुँचा तभी लाल रंग का ईरिक्शा जिसमें लोग सवार थे जो उसके पीछे आ रहा था ई रिक्शा खड़ा कर 2 लोग उतरकर उसके पास आये जिनमें एक व्यक्ति लाल रंग की टीशर्ट एवं दूसरा व्यक्ति काले रंग की शर्ट पहने था लाल टीशर्ट वाले ने उसे चाकू अड़ा लिया। दोनों उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट किये काले रंग की टीशर्ट पहने व्यक्ति ने उसका पर्स छीन लिया पर्स में 3900 रूपये एवं पहचान पत्र आदि थे। घटना करने के बाद ई रिक्शा लेकर मानस चौक तरफभाग गये।

इधर युवती से बैग लूटा

अधारताल थाने में मंगलवार को रूची ठाकुर 19 वर्ष निवासी कटरा आदर्श नगर अधारताल ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि दोपहर 2 बजे कटरा से लायब्रेरी जय प्रकाश नगर पैदल जा रही थी, बैग की जेब में रेडमी कम्पनी का मोबाईल रखी थीं। दोपहर 12 बजे जैसे ही जेपी हैल्थ क्लब के पास पहुंची तभी मोटर सायकिल से एक लडका आया और उसका बैग छीनकर भागने लगा, उसने दौडकर पीछा किया तो वह लडका उसके बैग मे रखा उसका मोबाईल निकालकर बैग को वहीं फेंक कर मोबाईल लेकर भाग गया।

आपके पार्सल में ड्रग्स मिली है, आपको गिरफ्तार करने इंस्पेक्टर आ रहे है

ओएफके से सेवानिवृत्त कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखा ऐंठी रकम

नवभारत, जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत नरसिंहपुर नगर निवासी एक ओएफके से रिटायर्ड कर्मचारी साइबर ठगी का शिकार हो गए। दरअसल ठग ने फोन कर कहा कि आपके पार्सल में आपत्ति जनक ड्रग्स मिली है आपको गिरफ्तार करने इंस्पेक्टर आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट का ड र दिखाकर ठग ने रकम ऐंठ ली। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम राजकुमार त्यागी 81 वर्ष निवासी काली मंदिर के पीछे नरसिंह नगर रांझी ने लिखित शिकायत की कि वह ओएफके खमरिया से सेवा निवृत्त है। जब वह घर पर अकेला था तभी अज्ञात व्यक्ति ने उसके मोबाइल नम्बर पर कॉल कर कहा आपके पार्सल में आपत्ति जनक ड्रग्स मिली है आपने नाम से खमरिया थाना में शिकायत हो गयी है आपको गिरफ्तार करने इंस्पेक्टर राणा आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के डर से वे घर के किरायेदार प्रवीण सिंह को बुलाकर अपने मोबाइल से उसने गूगल पे के माध्यम से अलग अलग ट्रांजेक्शन क्रमश: 12220 रूपये, 4499 रूपये, 24800 रूपये, 8600 रूपये, 18000 रूपये उसके मोबाइल नम्बर भिजवाता गया।

पीटने की आवाजें सुन घबरा गए, पैसा खत्म तब जागी चेतना

पीड़ित के मुताबिक फोन में बातचीत के दौरान पीछे से किसी अन्य को मारने पीटने की आवाज आ रही थी जिससे वह घबरा गया और जैसे जैसे वो कहते गये वह वैसा करते गया। उसका दिमाग उस समय पर बिल्कल किसी बात को समझाने या तर्क करने की स्थिति में नहीं था। दोपहर लगभग 2 बजे के बाद जब पैसे खत्म हुये तो पीड़ित की कुछ चेतना जागी और यह कहकर फोन काट दिया कि जिस बच्चे से रकम डलवा रहा था वह चला गया कुछ देर बाद करूंगा। वह घर से बाहर निकल अपने पड़ोसी से चर्चा किया जिसने जानकारी दी कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है। उसकी पूरी पेंशन व अन्य जमा पूंजी निकाल ली गयी थी।

अधिकारों पर वर्षों की चुप्पी, फिर अदालत से राहत की उम्मीद...

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि न्याय केवल अधिकार का नहीं, बल्कि समय पर अधिकार के प्रयोग का भी पक्षधर है। यदि कोई कर्मचारी वर्षों तक अपने अधिकार के लिए मौन रहता है और बाद में दूसरे कर्मचारियों को मिली राहत देखकर अदालत पहुंचता है, तो उसे समान लाभ नहीं मिल सकता। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसे दावेदार को फेंस सिटर मानते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विशाल धागत की एकलपीठ ने संभव मनु अयाची की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता वर्ष 2016 से वरिष्ठता का लाभ चाहता है, लेकिन उसने लगभग एक दशक तक अपने अधिकार के लिए कोई प्रभावी कानूनी कदम नहीं उठाया। केवल वर्ष 2023 में दिया गया अभ्यावेदन भी नया कारण-ए-दावा नहीं बन सकता। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि समान परिस्थितियों वाले कर्मचारियों को समान लाभ देने का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन यह उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो लंबे समय तक निष्क्रिय बने रहें और दूसरों की सफलता के बाद राहत मांगने पहुंचें।

मिलावट पर शिकंजा कसने खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापा

कहीं मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं, पुराना पनीर, केमिकल में रखी सब्जियां मिली

जबलपुर । राजस्व पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मिलावट पर शिकंजा कसने मंगलवार की देर शाम तक कई खाद्य प्रतिष्ठानों में छापेमारी की। जांच की और खाद्य पदार्थों के सेम्पल परीक्षण के लिए गए । कार्रवाई के दौरान कहीं कर्मचारियों का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था तो कहीं पुराना पनीर, केमिकल में रखी सब्जियां मिली। अचानक हुई कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा ।

जानकारी के अनुसार गंजीपुरा सुपर मार्केट स्थित आनंद डेरी और न्यू आनंद डेरी की जांच कर दूध एवं पनीर के चार नमूने जांच के लिए लिये गये। नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे जा रहा है। इसी प्रकार एसवीएस फूड गोरखपुर के किचन में मौजूदा सामग्री की जाँच की गयी। मोमोज का सैंपल लिया गया तथा मौके पर पायी गयी विभिन्न सामग्रियों और बोतलबंद सामग्रियों की जांच की गई। कार्यरत कर्मचारियों की मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं पाये गये। राजस्व, पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बंदरिया तिराहा स्थित ला पिनो पिज्जा की जांच में पनीर एक दिन पुराना पाया गया है। पनीर आनंद डेयरी से आया है जिसका बिल 20 जुलाई का है। यहाँ मशरूम और अन्य सब्जियां केमिकल में रखी पाई गई। इस प्रतिष्ठान से सभी खाद्य सामग्री के सैंपल लिये गए। वांग चाइनीज रेस्टोरेंट गोरखपुर की जाँच में पनीर और मोमोज का सैंपल लिया गया। रांझी तहसील के ग्राम गुरैया स्थित यादव डेयरी की भी राजस्व, पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच की।

अमृत योजना 2 .0 से शहर की पेयजल व्यवस्था होगी और मजबूत

नवभारत, जबलपुर। शहर की पेयजल व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, आधुनिक और सुचारू बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत संचालित जलप्रदाय योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने जारी विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसियों को सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि नागरिकों को निर्बाध और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अमृत 2.0 योजना के तहत जबलपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे आने वाले समय में शहर की जलप्रदाय क्षमता में सुधार देखने को मिलेगा। योजना के तहत इंटेकवेल सह पंप हाउस का निर्माण एप्रोच ब्रिज के साथ किया जा रहा है। इसके साथ ही रॉ-वाटर पंप, सब स्टेशन एचटी फीडर, रॉ-वाटर राइजिंग मेन्स, क्लीयर वाटर राइजिंग मेन और विस्तृत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछाने का काम भी जारी है।

जिला बार चुनाव की विवादित प्रक्रिया : एसबीसी ने गठित की तदर्थ कमेटी

नए सिरे से कराया जाएगा स्थगित हुआ मतदान

जबलपुर। जिला बार एसोसिएशन चुनाव में बैलेट पेपर पर पहले से सील लगे होने के आरोपों के बाद उपजे विवाद पर एमपी स्टेट बार काउंसिल ने बड़ा फैसला लिया है। परिषद ने सोमवार को हुई अधूरी मतदान प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नए सिरे से निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराने के लिए सात सदस्यीय तदर्थ समिति गठित कर दी है। समिति अब मतदाता सूची से लेकर नामांकन, मतदान और मतगणना तक संपूर्ण प्रक्रिया संचालित करेगी। यह आदेश महाधिवक्ता व एमपी स्टेट बार काउंसिल के पदेन अध्यक्ष प्रशांत सिंह की स्वीकृति के बाद जारी किया गया।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को मतदान के दौरान कुछ बैलेट पेपर पर पहले से सील लगी होने की शिकायत सामने आने पर बार परिसर में हंगामा मच गया था। विवाद बढने पर मतदान बीच में ही रोकना पड़ा। मामला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णमूर्ति मिश्रा के संज्ञान में पहुंचा, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में मतपेटियां सीज कर सुरक्षित रखवाई गईं। घटनाक्रम के बीच निर्वाचन अधिकारी जीएस ठाकुर ने स्वयं को निर्वाचन कार्य से दायित्वमुक्त करने की घोषणा भी कर दी थी। घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए स्टेट बार काउंसिल ने पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त कर तदर्थ समिति को संपूर्ण चुनाव कराने का अधिकार सौंप दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समिति स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराएगी।

तदर्थ समिति के अध्यक्ष बनाये गये दिनेश उपाध्याय

तदर्थ समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय बनाए गए हैं, जिन्हें पूर्व में हाईकोर्ट बार चुनाव दो बार निविर्वाद सम्पन्न कराने का अनुभव है। कमेटी के सदस्यों में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रहलाद चौधरी, राजकुमार दुबे, संपूर्ण तिवारी, अभय सिंह ठाकुर, प्रवीण चतुर्वेदी व अरविंद कुमार चौधरी शामिल हैं। समिति को जिला बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ईमेल की जरिए की गई मांग, निर्णय पर राज्यपाल नहीं दें मंजूरी

एमयू को विखंडित करने का नीतिगत निर्णय भेदभाव पूर्ण

नवभारत, जबलपुर। सरकार द्वारा म.प्र.आयुर्विज्ञान विवि (संशोधन) विधेयक 2026 और म.प्र. धनवंतरी स्वास्थ विवि विधेयक 2026 के तहत वर्तमान एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को दो मेडिकल यूनिवर्सिटी- जबलपुर और उज्जैन में बनाने का निर्णय लिया गया है। सरकार का यह नीतिगत निर्णय मनमानी और भेदभाव पूर्ण है। इससे भारतीय संविधान के प्रावधानों तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। अत: विधानसभा द्वारा भेजे जाने वाले इस निर्णय को महामहिम राज्यपाल मंजूरी प्रदान नहीं करें।

यह ईमेल मंगलवार को डॉ. पी.जी. नाजपांडे व रजत भार्गव ने राजभवन भोपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत कोठारी को भेजा है। कार्यक्षेत्र, कॉलेज और छात्रों की भारी मात्रा में संख्या घटने से जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी की भारत में पहचान निचले स्तर की होगी। और शैक्षणिक प्रभाव में यह संस्था पिछड़ जायेगी। डॉ. पीजी नाजपांडे ने बताया कि बंटवारे में बराबर के दो हिस्से नहीं किए गए हैं।

कुछ इस तरह से हुआ है बंटवारा

जानकारी के अनुसार उज्जैन विवि के कार्यक्षेत्र में 6 संभाग के 31 जिले, जबलपुर में 4 संभाग के 24 जिले शामिल हैं। संबद्ध कुल 85 कॉलेज में 60 उज्जैन को तो 15 जबलपुर को दिए गए हैं वहीं 16 हजार अध्ययनरत विद्यार्थियों में 14 हजार उज्जैन को और 2 हजार विद्यार्थी जबलपुर को दिए गए हैं।

जीसीएफ कार्य समिति चुनाव की उल्टी गिनती शुरू

संयुक्त मजदूर कर्मचारी मोर्चा मजबूती से कायम

नवभारत, जबलपुर। गन कैरिज फैक्ट्री (जीसीएफ) में आगामी 25 जुलाई को कार्य समिति चुनाव के लिए मजदूर संघ हथौड़ा एवं इंटक के संयुक्त बैनर संयुक्त मजदूर कर्मचारी मोर्चा के प्रत्याशियों ने एकजुटता दिखाते हुए प्रचार तेज कर दिया है। मोर्चा का मानना है कि कर्मचारियों का विश्वास संयुक्त मोर्चा के साथ मजबूती से कायम है। मजदूर संघ हथौड़ा के अध्यक्ष विनय गुप्ता और जेसीएम काउंसिल सचिव उत्तम विश्वास के अनुसार संयुक्त मोर्चा निरंतर कर्मचारियों के अधिकारों के लिए

अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। संयुक्त मजदूर कर्मचारी मोर्चा ने सभी 10 क्षेत्रों से अपने प्रत्याशी सबसे पहले घोषित किए थे। इनमें राहुल गुप्ता, अमित चंदेल, राजेंद्र वर्मा, रोहित यादव देवेंद्र भदौरिया, पार्थ ओझा, सिद्धार्थ ठाकुर, बीरबल सिंह, हिमांशु कुमार व राजा पांडे शामिल हैं। जबकि महामंत्री रोहित यादव खुद प्रत्याशी हैं।

पुरी और गंगासागर के लिए रवाना होगी पर्यटक ट्रेन

जबलपुर। मध्यप्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। जो 15 सितंबर को इंदौर शहर से पुरी, गंगासागर के साथ गया, वाराणसी एवं रामलला दर्शन यात्रा के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन मध्यप्रदेश इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी एवं अनूपपुर स्टेशनों से होते हुए जाएगी, जहाँ से यात्री इस ट्रेन पर सवार हो सकेंगे। 10 रातें 11 दिनों की इस यात्रा में पुरी, गंगासागर, गया, वाराणसी एवं अयोध्या के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जायेगा।

कार्रवाई बार-बार मेट्रो बसें खड़ी कर यात्रियों के आवागमन में हो रही थी बाधा उत्पन्न

नो-पार्किंग में खड़ी मेट्रो बसों पर आरपीएफ की कार्रवाई

जबलपुर। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक-06 स्थित सर्कुलेटिंग एरिया में नो-पार्किंग क्षेत्र में बार-बार मेट्रो बसें खड़ी कर यात्रियों के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने पर रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने सोमवार को सख्त कार्रवाई करते हुए दो मेट्रो बसों को जब्त कर लिया।

बता दे कि नवभारत द्वारा लगातार सर्कुलेटिंग एरिया में खड़ी बसों को लेकर न्यूज़ प्रकाशित की जा रही थी। निरीक्षण के दौरान बस क्रमांक MP 20 PA 1302 एवं MP 20 PA 1290 नो-पार्किंग क्षेत्र में सवारी लेते हुए पाई गईं, जिससे स्टेशन परिसर में अव्यवस्था और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आरपीएफ के अनुसार संबंधित बस चालकों को पहले भी कई बार समझाइश दी गई थी और नो-पार्किंग में वाहन खड़ा नहीं करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन लगातार नियमों की अनदेखी किए जाने पर इस बार दोनों बसों को विधिसम्मत रूप से जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान पूरी घटना की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर आवश्यक साक्ष्य भी संकलित किए गए। आरपीएफ ने बस चालक निरंजन कुशवाह एवं युसूफ खान के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 145 एवं 159 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस बंधपत्र पर रिहा किया तथा विशिष्ट रेलवे मजिस्ट्रेट, जबलपुर के समक्ष उपस्थित होने के लिए पाबंद किया। आरपीएफ ने स्पष्ट किया है कि रेलवे स्टेशन परिसर में नो-पार्किंग नियमों का उल्लंघन कर यात्रियों के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।